
दंड और अनुशासनिक प्राधिकारियों

पर

मास्टर परिपत्र

Master Circular

On

Penalties and Disciplinary Authorities

66

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

M.C. No. 66

No. E(D&A) 2000 RG 6-31

New Delhi, dated: 19.10.2001

The General Managers,
All Indian Railways, etc.,
(As per list I & III).

Sub: Penalties and disciplinary authorities under
Railway Servants (Discipline and Appeal)
Rules – Master Circular.

At present, provisions/instructions regarding penalties and disciplinary authorities are contained in Part III of the Railway Servants(Discipline & Appeal) Rules, 1968 and in a number of letters issued by Railway Board from time to time. It has been decided to consolidate, important amongst them in one single Master Circular, for the purpose of convenience and better understanding, as enclosed herewith.

While referring to this Circular, the original letters referred to herein should be read for a proper appreciation and in case of doubt, the original circular should be relied upon as authority.

Since only important circulars on the subject have been included, a number of other circulars might not have found place in this Master Circular. Instructions contained in circulars not included herein, should not be deemed to have been superseded simply because of their non-inclusion.

Please acknowledge receipt.

DA: As above


(V. Vaidehi)
Joint Director Establishment (D&A)II
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

मा. परि. सं: - 66 -

सं.ई(डी एंड ए) 2000 आरजी 6-31

नई दिल्ली, दिनांक : 19.10.2001

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें आदि


**विषय: रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमों के अंतर्गत शास्तियां तथा
अनुशासनिक प्राधिकारी-मास्टर परिपत्र.**

इस समय रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के अनुसार शास्तियां तथा अनुशासनिक प्राधिकारियों से संबंधित उपबंध/अनुदेश उक्त नियमों के भाग-III तथा रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों में अंतर्विष्ट हैं. यह निर्णय लिया गया है कि सुविधा तथा बेहतर समझ के लिए महत्वपूर्ण उपबंध/अनुदेश एक मास्टर परिपत्र में समेकित किए जाएं. इस संबंध में तैयार किया गया मास्टर परिपत्र संलग्न है.

इस परिपत्र का हवाला देते समय उचित मूल्यांकन के लिए इसमें दिए गए मूल पत्र को पढ़ा जाए तथा शंका के मामले में मूल पत्र पर प्राधिकार के रूप में विश्वास किया जाए.

चूंकि इस मास्टर परिपत्र में इस विषय पर केवल महत्वपूर्ण अनुदेश ही शामिल किए गए हैं, कुछ अनुदेश इसमें नहीं मिलेंगे. परिपत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेश जिन्हें मास्टर परिपत्र में शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ उन्हें शामिल नहीं किए जाने के कारण हटा दिए गए नहीं माने जाएं.

कृपया पावती दें.



(वी.वैदेही)

संयुक्त निदेशक, स्था.(अनु.एवं अपील)-II
रेलवे बोर्ड.

संलग्नक : यथोक्त

PENALTIES AND DISCIPLINARY AUTHORITIES

Disciplinary action against Railway Servants is governed by Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968. Part III of these Rules contain Rules 6,7 and 8, which pertain to penalties and disciplinary authorities.

2. The penalties specified in Rule 6 can be imposed on a Railway Servant, for good and sufficient reasons, after following the due procedure which has been prescribed in Part IV of the Rules. The Penalties are classified into two categories – Minor and Major. There are six minor penalties and five major penalties, as listed below:

Minor Penalties:

- (i) Censure;
- (ii) Withholding of promotion for a specified period;
- (iii) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Government or Railway Administration by negligence or breach of orders;
- (iii-a) Withholding of the Privilege Passes or Privilege Ticket Orders or both;
- (iii-b) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a period not exceeding three years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension.
- (iv) Withholding of increments of pay for a specified period with further directions as to whether on the expiry of such period, this will or will not have the effect of postponing the future increments of pay;

Major Penalties:

- (v) Save as provided for in clause (iii-b), reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;
- (vi) Reduction to a lower time scale of pay, grade, post, or service, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Railway servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;

- (vii) Compulsory retirement;
- (viii) Removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the government or Railway Administration.
- (ix) Dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government or Railway Administration.

3. The penalty in Rule (iii-b) viz. Reduction of pay to a lower stage in the same time scale of pay for a period not exceeding three years, without cumulative effect and not adversely affecting the pension was carved out of the major penalty in Rule 6(v) of reduction to a lower stage in the time scale of pay and placed among minor penalties after the penalty of withholding of Passes/PTOs. The three conditions specified in Rule 6 (iii-b) viz. the period of the penalty should not exceed three years, the penalty should be without cumulative effect and the penalty should not adversely affect the pension of the Railway Servant have been borrowed from the provisions relating to imposition of the penalty of withholding of increment under Rule 11(2). Rule 11(2) provides that notwithstanding the fact that withholding of increments is a minor penalty, an inquiry has to be held under Rule 9 which has been prescribed for major penalties, if the penalty of withholding of increments is for a period exceeding three years or is with cumulative effect or adversely affects the pensionary benefits. Hence, all the three conditions specified in Rule 6(iii-b) have to be fulfilled for the penalty of reduction of pay to a lower stage to be a minor penalty.

(Rule 6(iii-b) was introduced under Bd.'s Notification No.E(D&A)90 RG6-112 dt 16.11.90).

4. Disciplinary action can be taken against an employee in respect of misconduct committed before his employment if the misconduct is of such a nature as has rational connection with his present employment and renders him unfit and unsuitable for continuing in service.

(Rly. Board's letter No.E(D&A)67 RG 6-11 dt. 1.6.68).

5. Special Provisions regarding quantum of penalty: The penalty to be imposed in a case will be decided by the Disciplinary Authority taking into account all the facts and

circumstances of the case. However, special provisions exist for imposition of specific penalties in certain types of cases, as indicated below:

- (i) in cases of persons found guilty of any act or omission which resulted or would have, ordinarily resulted in collision of Railway trains, one of the penalties specified in clauses (viii) and (ix) of Rule 6 (viz. Removal or Dismissal) shall ordinarily be imposed.
- (ii) In cases of persons found guilty of passing Railway Signals at danger, one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of Rule 6 (viz. One of the major penalties) shall ordinarily be imposed.
- (iii) In cases of persons found guilty of having accepted or having obtained from any person any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act, one of the penalties specified in clauses (viii) or (ix) of Rule 6 (viz. Removal or dismissal) shall ordinarily be imposed.

In all the three types of cases mentioned above, where the specified penalty is not imposed, the reasons therefor shall be recorded in writing.

(Ref: First and second proviso to Rule 6)

6. What shall not constitute a penalty:

- (A) The following shall not amount to be a penalty under the RS(D&A) Rules as per explanation under Rule 6:
 - (i) withholding of increments of pay of a Railway servant for failure to pass any departmental examination in accordance with the rules or orders governing the Service to which he belongs or post which he holds or the terms of his appointment;
 - (ii) stoppage of a Railway servant at the efficiency bar in the time-scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar. (The concept of EB does not find place in the scales recommended by V-Pay Commission).
 - (iii) non-promotion of a Railway servant, whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case;
 - (iv) reversion of a Railway servant officiating in higher Service, grade or post to a lower Service, grade or post, on the ground that he is considered to be unsuitable

for such higher Service, grade or post, or on any administrative ground unconnected with his conduct;

(This should be read with the instructions on the subject contained in para 7 below)

- (v) reversion of a Railway servant, appointed on probation to any other Service, grade or post, to his permanent Service, grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation;
 - (vi) replacement of the services of a Railway Servant, whose services had been borrowed from any other Ministry or Department of the Central Government or a State Government or an authority under the control of the Central Government or State Government, at the disposal of the government or the authority from which the services of such Railway servant had been borrowed;
 - (vii) compulsory retirement of a Railway servant in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement;
 - (viii) termination of the services –
 - (a) of a Railway servant appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation, or
 - (b) of a temporary Railway servant in accordance with rule 301 contained in Volume 1 of the Indian Railway Establishment Code (Fifth Edition – 1985), or
 - (c) of a Railway Servant employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement;
 - (ix) discharge of Railway Servant –
 - (a) for inefficiency due to failure to conform to the requisite standard of physical fitness;
 - (b) on reduction of establishment.
- (B) Issue of warnings, Govt.'s displeasure or counselling will not constitute a penalty under the rules. These are administrative steps in the nature of corrective actions. (Board's letter No.E(D&A)77 RG 6-20 dt.10.5.77).

7. Provisions regarding reversion.

(i) Though reversion to a lower post for unsatisfactory work is not a penalty, a Railway Servant who has officiated in a higher grade/post for 18 months or more, should not be reverted for unsatisfactory work without following the procedure prescribed in the RS(D&A) Rules.

(Railway Board's letter No.E(D&A)65 RG 6-24 Dt. 9.6.65).

(ii) The above safeguard applies to only those employees who have acquired a prescriptive right to the officiating posts by virtue of their empanelment or having been declared suitable by the competent authority. It does not apply to those officiating on promotion as a stop-gap measure and also to those cases where an employee, duly selected, has to be reverted after a lapse of 18 months because of cancellation of the panel or due to a change in the panel position consequent to rectification of some mistake.

(Railway Board's letter No.E(D&A)65 RG 6-24 Dt.15.1.66).

(iii) However, the General Managers may, in very special circumstances, revert an officiating employee in relaxation of the time limit of 18 months, in exercise of their personal judgement.

(Railway Board's letter No.E(D&A)65 RG 6-24 dt. 22.11.66).

(iv) The provisions contained in paras (i), (ii) and (iii) above were reiterated to the Railways.

(Railway Board's letter No.E(D&A)85 RG 6-9 dt. 20.4.85).

8. Courts' powers to interfere with penalties:

(i) The Central Administrative Tribunal does not have the power to interfere with the decision of the competent authority in so far as quantum of penalty to be imposed is concerned.

(Board's letter No.E(D&A)87 RG 6-87 dt. 31.8.87).

(ii) Supreme Court, vide their judgement dt. 14.3.89 in Civil Appeal No.1709 of 1988 – UOI Vs. Permanand, upheld the following:

- a) The jurisdiction of the Tribunal to interfere with disciplinary matters or punishments cannot be equated with an appellate jurisdiction.

- b) The Tribunal cannot interfere with the findings of the Inquiry Officer or competent authority unless they are arbitrary or perverse.
- c) If there has been an enquiry consistent with the rules and in accordance with the Principles of Natural Justice, what punishment would meet the ends of justice is a matter exclusively within the jurisdiction of the competent authority.
- d) If a penalty can be lawfully imposed and is imposed on the proof of misconduct, the Tribunal has no power to substitute its own discretion. The adequacy of the penalty, unless it is malafide, is not a matter for the Tribunals to be concerned with.
- e) The Tribunal also cannot interfere with the penalty if the conclusions of the Inquiry Officer or competent authority are based on evidence, some of which may be irrelevant or extraneous.
- f) As an exception to the above, where a person is dismissed, removed, etc., under Rule 14 (i) of the RS (D&A) Rules solely on the basis of conviction by a criminal court, the Tribunal may examine the adequacy of the penalty or its reasonableness having regard to the nature of the criminal charges.
(Rly. Board's letter No.E(D&A)87 RG 6-87 dt. 8.6.89.)

(iii) In Supreme Court judgements in the cases of State Bank of India Vs. Samarendra Kishore Endow (1994(i)S.L.R 516) and UOI Vs. Upendra Singh (1994-27 ATC 200), it has been reiterated that a High Court or Tribunal has no power to substitute its own discretion for that of the disciplinary authority. The jurisdiction of the Tribunal is similar to the powers of the High Court under Article 226, which is one of judicial review. The Tribunal has no jurisdiction to go into the correctness or truth of the charges and can interfere only if, on the charges framed, no misconduct or other irregularity alleged can be said to have been made out or the charges framed are contrary to any law.

(Rly. Board's letter No.E(D&A)94 RG 6-87 dated 23.1.95).

9 Censure:

If at the end of the proceedings, it is found that some blame attaches to a Railway Servant, warning/Govt. Displeasure/Counselling which are not recognised penalties, should not be imposed. In such cases, at least the penalty of Censure should be imposed. (Board's letter No.E(D&A)92 RG 6-149(A)/(B) dt. 21.1.93.)

10. Withholding of promotion:

Even though withholding of promotion is a specified penalty under Rule 6, non-promotion during the currency of the penalty of withholding of increment etc., will not amount to imposition of two penalties. A denial of promotion in such circumstances is not a further penalty but a necessary consequence of his conduct.

(Board's letter No.E(D&A)91 RG 6-68 dt. 22/29.10.91)

11. Recovery of Loss:

(i) In cases of loss caused to the Government by negligence, breach of orders, etc., on the part of an employee, it would be open to the competent authority to inflict, in addition to the penalty of recovery from pay of the loss caused, any one of the penalties specified in clauses 1 (i), (ii) and (iv) and clauses 2 (i) and (ii) of Rule 1707-RI (1959 Edition) (equivalent to the penalties specified in Rule 6 (i), (ii), iii(a), iii(b), (iv) and (vi) of RS(D&A) Rules, 1968), by way of one and the same order and in pursuance of one and the same proceedings. It would not amount to double punishment.

(Board's letter No.E(D&A)62 RG 6-26 dt. 17.5.62).

(ii) In the case of large sums of recovery of losses, the instalments can be so fixed as not to cause undue hardship to the Railway Servant and his family.

(Board's letter No.E(D&A) 2000 RG6-64 dt. 30 .1.2001)

12. Withholding of Passes/PTOs

(i) The penalty of withholding of Passes/PTOs for a period of less than one year should be restricted to very minor offences as it may not prove to be an effective punishment, except for the slight inconvenience that may be caused during the period of

the punishment since the employee can avail of all the Passes/PTOs due in the calendar year as soon as the period of punishment expires.

(Rly. Board's letter No.E(D&A)61 RG 6-34 dt. 27.7.61).

(ii) In order to make the penalty of withholding of Passes/PTOs effective, the penalty should be imposed in terms of sets instead of for a specified period. In cases where the employee has already taken all the Passes/PTOs due in the calendar year, the withholding may be against the next year's account.

(Rly. Board's letter No.E(D&A)66 RG 6-57 dated 14.12.1966).

iii) Though no ceiling has been laid down in RS(D&A) Rules with regard to number of sets of Passes/PTOs which can be withheld, withholding of a large number of Passes/PTOs is not in keeping with the spirit of Rules as also the fact that this is a minor penalty which can be imposed without regular inquiry.

(D.O letter No.E(D&A)97 RG 6-6 dt. 19/25.3.97 to N.E. Rly.)

iv) Post-retirement complimentary Passes cannot be withheld as a penalty under the RS(D&A) Rules for offences committed during the service. The only penalty in such cases is a cut in the pensionary benefits under Rule 2308-RII (now incorporated as Rule 9 of Railway Servants (Pension) Rules, 1993).

(Rly. Board's letter No.E(D&A)89 RG 6-56 dt. 29.5.89).

However, post-retirement complimentary passes can be disallowed in accordance with the provisions and procedure laid down in the Railway Servants (Pass) Rules for unauthorised retention of Railway quarter. For this purpose, provisions of RS(D&A) Rules need not be invoked.

(Rly. Board's letter No. E(W)99 PS 5-1/41 dt. 3.11.99).

13. Withholding of Increment:

(i) If a Railway Servant becomes due for promotion after the penalty of withholding of increment is imposed, he should be promoted only after expiry of the penalty. However, where the penalty of withholding of increment is to become operative from a future date, the employee should be promoted in his turn and the penalty imposed in the promotional grade for a period which would not result in a greater monetary loss.

(Rly. Board's letter No.E(D&A)92 RG 6-149(A) dt. 21.1.93 in respect of non-gazetted staff and No.E(D&A)92 RG 6-185 dt. 12.2.93 in respect of officers).

(ii) Different orders of punishment of withholding of increments imposed one after the other should be implemented as indicated in the illustration below:

Date	Pay when no punishment is imposed. (Rs.)	Pay when only one punishment of WIT for 1 year is imposed (Rs.)	Pay when two successive punishments of WITs are imposed each for 1 year (Rs.)	Pay when only one punishment of WIT for 1 year is imposed cumulatively (Rs.)	Pay when punishments are imposed first for 1 year cumulatively followed by WIT for a year (Rs.)
1.1.85	400	400	400	400	400
Punishments imposed in 1985					
1.1.86	425	400	400	400	400
1.1.87	450	450	425	425	400
1.1.88	475	475	475	450	450
1.1.89	500	500	500	475	475

(Railway Board's letter No.E(D&A)85 RG 6-57 dt. 11.3.1986)

(iii). The penalty of withholding of increments can be operative only to the increments to which the employee has not become entitled on the date on which the penalty order is issued. An increment to which the employee had already become entitled (but which was not actually drawn) on the date of imposition of the penalty cannot be withheld.

(Railway Board's letter No.E(D&A)60 RG 6-20 dt. 2.7.1960).

(iv). When the penalty of withholding of increments is imposed it is only the increment(s) accruing in the normal course in the time scale of pay that should be withheld in terms of the orders of the penalty. The penalty orders should not interfere with the accrual of advance increment(s) granted as an incentive for passing departmental or other technical examination etc. Similarly, in cases where a penalty of reduction to lower stage in the time scale of pay for a specified period is imposed, the accrual of advance increments will not be affected.

(Railway Board's letter No.E(D&A)76 RG 6-2 dated 7.5.1976).

(v). Penalties of “withholding of promotion” or “withholding of increments” cannot, by their very nature, be imposed as a permanent measure. It can only be for a specified period to be laid down by the Disciplinary Authority.

(Railway Board’s letter No.E(D&A)66 RG 6-20 dated 27.8.1966)

(vi) Even though the penalty of withholding of increments is a minor penalty, an inquiry under Rule 9 has to be held, if it is to be imposed for a period exceeding three years or if it is to be imposed with cumulative effect for any period or if the penalty is likely to affect adversely the amount of pension or special contribution to Provident Fund payable to the Railway Servant.

(Rly. Bd.’s letter No.E(D&A) 67 RG6-13 dt:28.2.68 and Rule 11(2) of RS(D&A) Rules)

(vii) The Disciplinary Authority must make sure before ordering punishment of withholding of increment that the staff concerned has scope to earn those increments, i.e., he is not at the maximum of the grade. In such a case, the case can be referred back to the DA to review his own orders and pass fresh orders. Incidentally, this is one case where an authority can review its own orders.

(Rly.Bd.’s letter No.E(D&A) 82 RG6 –84 dt. 4.1.83 and Case No.E(D&A)92 AE 2-2

14 Reduction to a lower stage in the same scale of pay:

- (i) The penalty of reduction to a lower stage in time scale should indicate :
- a) the date from which it will take effect and the period for which the penalty will be operated,
 - b) the stage in the time scale (in terms of rupees) to which the pay is reduced; and
 - c) the extent (in terms of years and months), if any, to which the period referred to in (a) above should operate to postpone future increments, i.e. the period, out of the total, for which the penalty will have cumulative effect. This period shall not exceed the period for which the penalty will be operated.
- (ii) The reduction to a lower stage in a time scale for an unspecified period or as a permanent measure is not permissible under the rules. When the pay of an employee is

reduced to a particular stage, his pay will remain constant at that stage for the entire period of reduction.

(iii) If the penalty of reduction to a lower stage in time scale is not to operate to postpone future increments the employee shall be allowed, on expiry of the penalty, the pay which he would have drawn had he not been reduced. If the penalty is to operate to postpone the future increments for any specified period, the pay shall be fixed, on expiry of the penalty, treating the period for which the increments were to be postponed as not counting for increments.

(Rly.Board's letters No.F(E)57 FR-1/1 dt:22.1.60 read with F(E) 60 FR-1/2 dt:21.12.60)

15. Reduction to a lower service/grade/post

- (i) (a) The penalty of reduction to a lower grade or post should invariably be imposed for a specified period unless the clear intention is that the reduction should be permanent or for an indefinite period i.e. till such date as, on the basis of his performance subsequent to the order of reduction, he may be considered fit for promotion. Where the order imposing such penalty does not specify the period of reduction and there is coupled with it an order declaring the Railway Servant permanently unfit for promotion, the question of re-promotion will, obviously not arise.
- (b) Where the reduction to a lower grade or post is for a specified period, the employee should be repromoted automatically, on expiry of the penalty, to the post from which he was reduced. Such an order of reduction should clearly specify:
- (i) The period of reduction; and
- (ii) Whether on re-promotion, the Railway Servant will regain the original pay and seniority in the higher grade from which he was reduced.

Where the reduction is not to operate to postpone future increments, the seniority of the Railway servant should be fixed in the higher service, grade or post or the higher time-scale at what it would have been but for his reduction. Where the reduction is to operate to postpone future increments, the seniority of

the Railway servant should be fixed by giving credit for the period of service rendered by him in the higher service, grade or post prior to his reduction.

(c) If the order of reduction is intended for an indefinite period, the order should be framed on the following lines:

“A is reduced to the lower post/grade/service of X until he is found fit by the competent authority to be restored to the higher post/grade/service of Y.”

In cases where it is intended that the fitness of the Railway Servant for re-promotion to the original position will be considered only after a specified period, the order should be made on the following lines:

“A is reduced to the lower post/grade/service of X until he is found fit, after a period of year(s) from the date of the order, to be restored to the higher post/grade/service of Y.”

(Board's letter No.E(D&A)62 RG6-46 dt: 30.7.64)

(ii) In cases of reduction to lower grade for an indefinite period, re-promotion will be ordered only by the authority competent to promote in higher grade and disciplinary authority has no role to play in the matter.

(Board's letter No.E(D&A) 70 RG6-15 dt:26.5.70)

(iii) If the penalty of reduction to a lower grade is for a specified period and the order does not specify whether it has an effect on seniority and increment in the higher grade on restoration to the higher grade, it should be assumed that the order will not affect seniority or increments.

(Rly.Board's letter E(D&A) 73 RG6-5 dt:22.2.74)

(iv) After expiry of the penalty of reduction to a lower grade for a specified period, the employee is to be re-promoted automatically to the post from which he was reduced by reverting, if necessary, the junior-most employee who has started officiating in that grade irrespective of the length of service put in by him. If however, there is another vacant post, the junior-most employee need not be reverted and can be adjusted against that post. If at a later date the question of reversion or promotion to a still higher grade arises, the seniority of the employees based on the length of service in that grade shall be taken into consideration for deciding as to which of them should be reverted or promoted.

(Rly.Board's letter No.E(D&A) 62 RG6-46 dt:26.10.64)

- (v) An order of the Disciplinary Authority reducing a Railway Servant to a lower grade and giving further directions on fixing his pay in the lower grade does not amount to double punishment. A ruling to this effect was given by Rajasthan High Court on 15.1.74 in the case of Shyama & Others Vs. UOI (1975(1)SLR511)

(Rly.Board's letter No.E(D&A)89 RG6-108 dt:12.12.89)

- (vi) Once the pay is fixed in the lower grade, the regulation of increments in the lower grade will be made under the normal rules unless the increments in the lower grade, etc., are also withheld.

(Rly.Board's letter No.F(E)60-FR-1/4(I) dated:27.10.60)

- (vii) The penalty of reduction to a lower grade cannot be imposed by reducing the grade of an employee to a level lower than the grade in which he was originally appointed.

(Rly.Board's letter No.E(D&A) 89 RG6-17 dated: 7.3.89)

- (viii) If the penalty of reduction to a lower grade for a specified period is not to operate to postpone future increments, the employee shall be allowed, on restoration to the higher grade, the pay which he would have drawn had he not been reduced to the lower grade i.e. the service rendered in the lower grade will count towards increments in the higher grade. If the penalty is to operate to postpone future increments, the pay shall be fixed, on restoration to the higher grade, by treating the period for which he was reduced as not counting for increment in the higher grade.

(Rly.Board's letter No.F(E)60 FR-1/4 dated:27.10.60)

16. When a penalty imposed on a Railway Servant is proposed to be enhanced by the Appellate/Revising Authority, the feasibility of cancelling the original penalty while imposing the higher penalty should be considered. However, if the employee has already undergone the penalty in whole or in part and it is not feasible to cancel the same, then the facts relating to the original penalty should be kept in view by the Appellate/Revising Authority while deciding upon the higher penalty to be imposed. Imposition of such an additional penalty by way of enhancement of the punishment in such cases is in order.

(Rly.Board's letters No.E 55 RG 6-14 dt. 29.2.56 and E(D&A)71 RG 6-18 dt. 12.12.72.

Illustration on how the penalties of withholding of increment, reduction of pay to a lower stage in the same scale of pay and reduction to a lower grade are to be operated

Scale of Pay	5500-175-9000
Pay	6200
Date of Increment	1st June
Date of imposition of penalty	1.3.2000

- a) Penalty of withholding of increment for 2 years without having the effect of postponing future increments (also termed as without cumulative effect, with temporary effect, etc.)

Date of effect of penalty	1.6.2000 (i.e. only from the date on which the next increment falls)
Pay on 1.6.2000	6200
Pay on 1.6.2001	6200
Pay on 1.6.2002	6725

(All the increments withheld are released along with the increment which becomes due after expiry of the penalty.)

- b) Penalty of withholding of increments for 2 years which will have the effect of postponing future increments (also termed as with cumulative effect, with permanent effect etc.)

Date of effect of penalty	1.6.2000
Pay on 1.6.2000	6200
Pay on 1.6.2001	6200
Pay on 1.6.2002	6375

(Increments withheld are not released, only the increment which becomes due on expiry of the penalty is granted)

- c) Penalty of reduction of pay by two stages to the lower stage of 5850 in the same scale of pay for 2 years without having the effect of postponing future increments i.e. without cumulative effect.

Date of effect of the penalty	1.3.2000
Pay on 1.3.2000	5850 (i.e. immediate effect)
Pay remains static at this level till 28.2.2002.	

- Pay on 1.3.2002 6550 (Pay restored first to the level from which it was reduced and thereafter, increments not granted during the currency of the penalty are granted)
- Pay on 1.6.2002 6725 (next increment granted)
- d) Penalty of reduction of pay by two stages to the stage of 5850 in the same scale of pay for 2 years, with the effect of postponing future increments i.e. with cumulative effect
- Date of effect of penalty 1.3.2000 (i.e. with immediate effect)
- Pay on 1.3.2000 5850
- Pay remains static at this level till 28.2.2002.
- Pay on 1.3.2002 6200 (Pay restored to the level from which it was reduced but increments not granted during the currency of the penalty are not granted even after the expiry of the penalty).
- Pay on 1.6.2002 6375 (next increment granted)
- e) Penalty of reduction to lower scale of 4500-125-7000 for 2 years and pay fixed at Rs.5000, without having the effect of postponing future increment
- Date of effect of penalty 1.3.2000 (i.e. with immediate effect)
- Pay on 1.3.2000 5000
- Pay remains static at this level till 28.2.2002, if the penalty order stipulates that no increments will be granted in the lower grade also during the currency of the penalty or if there is no such stipulation, the pay will rise to 5125 on 1.3.2001
- Pay on 1.3.2002 6550 (Higher scale of pay and the pay drawn at the time of imposition of penalty restored and thereafter increment in the higher grade which had accrued during the currency of the penalty are granted on this date.
- Pay on 1.6.2002 6725 (next increment granted)

- f) Penalty same as (e) above but having the effect of postponing future increments.

Date of effect of Penalty 1.3.2000 (i.e. with immediate effect)

Pay remains static at this level till 28.2.2002, if the penalty order stipulates that no increments will be granted in the lower grade also during the currency of the penalty or if there is no such stipulation, the pay will rise to 5125 on 1.3.2001

Pay on 1.3.2002 6200 (Higher scale of pay and pay drawn at the time of imposition of penalty are restored but increments in the higher grade which had accrued during the currency of the penalty are not granted)

Pay on 1.6.2002 6375 (next increment granted)

17. Compulsory Retirement

Compulsory retirement is different from premature retirement under Rules 1802, 1803 and 1804 of Indian Railway Establishment Code Vol.II(Sixth Edition). The latter is not a penalty and is ordered as an administrative measure. Though compulsory retirement has not been mentioned in Article 311(2) of the Constitution, which mentions only the penalties of dismissal, removal and reduction in rank, compulsory retirement has been included as a major penalty in the Rules and is less severe than the penalties of removal and dismissal.

18. Grant of pension/gratuity in cases of compulsory retirement, removal and dismissal

A Railway Servant who is compulsorily retired from service as a penalty may be granted pension/gratuity in terms of provisions contained in Rule 64 of Railway Services (Pension) Rules, 1993. A Railway Servant who is dismissed or removed from service forfeits his pension and gratuity. However, the authority competent to dismiss or remove him from service may, if the case is deserving of special consideration, sanction a compassionate allowance in terms of Rule 65 of Railway Services (Pension) Rules, 1993.

19. Disciplinary Authority

Disciplinary Authority has been defined in the Rules for different purposes as follows:

- (a) for the purpose of imposition of a penalty on a Railway Servant, the authority competent under the Rules to impose on him that penalty would be the Disciplinary Authority.
- (b) For the purpose of Rule 9 (procedure to be followed for imposition of a major penalty- i.e. holding an inquiry etc.) , Disciplinary Authority has been defined differently for gazetted and non-gazetted Railway Servants. For Gazetted employees, an authority competent to impose any of the penalties (minor or major) specified in Rule 6 would be the Disciplinary Authority. For non-gazetted employees, an authority competent to impose any of the major penalties specified in Rule 6 would be the Disciplinary Authority.
- (c) For the purpose of clauses (a) and (b) of Rule 11(1) (procedure for imposing minor penalties i.e. issuing the charge memorandum, holding an inquiry wherever necessary etc.), for both gazetted and non-gazetted Railway Servants, an authority competent to impose any of the penalties would be the Disciplinary Authority.
- (d) The authorities which are competent to impose the penalties specified in Rule 6 have been specified in the Schedules I, II and III to the RS(D&A) Rules. However, the President can impose any of the penalties in Rule 6 on any Railway Servant, irrespective of whether this authority has been specified in the Schedules or not.

(Rules 2(1)(c), 7(1) and 7(2) of RS(D&A) Rules)

Explanations:

- (i) An authority who is competent, in terms of the Schedules, to impose at least one of the penalties specified in Rule 6 on a gazetted Railway Servant can function as Disciplinary Authority for the purpose of issuing minor/major penalty chargesheet, holding of an inquiry under Rule 9 etc. but he can impose only those penalties on the Railway Servant for which he has been

authorised by the Schedules. In respect of non-gazetted staff, the same position as mentioned above applies in so far as minor penalty proceedings are concerned but, for major penalty proceedings, an authority can function as Disciplinary Authority for the purpose of Rule 9 only if that authority is competent, in terms of the Schedules to impose at least one of the major penalties.

- (ii) Schedule I specifies the Disciplinary and Appellate Authorities in respect of non-gazetted staff in units other than Zonal Railways and Production Units (in Railway Board's office, RDSO, Railway Training Institutions viz. IRICEN, IRISET, IRIEEN & IRIMEE, Railway Staff College, Railway Recruitment Boards etc.). Schedule II gives the disciplinary and appellate powers of different grades of Railway officers and Senior Supervisors in respect of non-gazetted staff of Zonal Railways and Production Units. Schedules I and II specify that the penalties of compulsory retirement, removal and dismissal can be imposed only by Appointing Authority or an authority of equivalent rank or any higher authority. Schedule III specifies the Disciplinary and Appellate Authorities in respect of Railway Officers (Group B and Group A). A copy each of the Schedules I, II and III are annexed as Annexures 'A' 'B' and 'C'.
- (iii) The disciplinary powers of PHODs under Schedule III to RS(D&A) Rules can be exercised, in the absence of posts of PHODs in the new Zones and Production Units, by Sr. Administrative grade officers who are acting as coordinating HODs or are in independent charge and by Directors of Railway Training Institutions.
(Board's letters No: E(D&A)98-RG-6/52 dt. 3.1.2000 and 1.6.2000)
- iv) While the Schedules refer to the level of Disciplinary Authority, the authority who actually functions as Disciplinary Authority can be none other than the one under whose administrative control the delinquent employee works. If an employee is transferred during the course of disciplinary proceedings against him, then his Disciplinary Authority would also change accordingly

and will be with reference to the new post held by him. Also there can be only one Disciplinary Authority for an employee, e.g. for an operating staff, who is under the administrative control of Divisional Operating Manager (DOM), only the DOM can act as Disciplinary Authority, even if the misconduct pertains to violation of commercial rules or safety rules and not Divisional Commercial Manager or Divisional Safety Officer.

(Rly.Board's letter No.E(D&A)60 RG 6-30 dt. 28.7.62, E(D&A)72RG6-13 dt.16.10.73 & E(D&A)94 RG6-69 dt.4.8.97)

- (v) In the case of a Railway Servant officiating in a higher post, the Disciplinary Authority shall be determined with reference to the officiating post held by the Railway servant at the time of disciplinary action.

(Rly.Rule 7 (3) of RS(D&A)Rules).

- (vi) In cases where records or appointment letters to establish the actual appointing authority are not available, the General Manager should be treated as the Appointing Authority.

(Rly.Bd's letter No.E(D&A)63 RG6-23 dt:21.2.64)

- vii) Authority who has acted as a member or Chairman of a Fact Finding Inquiry or Accident Inquiry should not act as Disciplinary Authority because the Charged employee would apprehend that the officer having expressed an earlier opinion would not, as a Disciplinary Authority, depart from his own earlier finding. He may not thus get justice. However, if the report does not indicate a final opinion but only a view, prima facie, he can act as a Disciplinary Authority. A member or chairman of the Fact Finding Inquiry or Accident Inquiry cannot act as an Inquiry Officer in the same case, since the Inquiry Officer should be an authority who should not have prejudged the guilt, even provisionally at an early stage. Similarly, an officer might have investigated a case arising out of vigilance and is subsequently transferred to

executive side. That disciplinary case should not be handled by him and may be passed on to the next higher authority for appropriate decision.

(Rly.Bd's letters No.E(D&A)63 RG6-16 dt. 23.12.68 read with letter dt.23.5.69 and E(D&A)91 RG 6-62 dt. 30.7.91)

- (viii) If the Disciplinary Authority of a Charged Official is also involved in the same case, then he should not act as Disciplinary Authority in the said case. In such a case, the authority who is next higher in the hierarchy should act as the Disciplinary Authority.

(Rly.Board's letter No E(D&A)90 RG 6-123 dt. 9.11.1990).

- (ix) Disciplinary Authority would be w.r.t. the post held by the Charged Official at the time of initiation of disciplinary action and not w.r.t. the post held at the time the alleged misconduct occurred.

(Rly.Board's letter No.E(D&A)84 RG 6-42 dt. 8.8.1964).

20. Appointing Authority

- (i) Appointing Authority has been defined in Rule 2(i) (a) of RS(D&A)Rules as under:

- a) the authority empowered to make appointments to the Service of which the railway servant is, for the time being, a member or to the grade of the Service in which the railway servant is, for the time being, included, or
- b) the authority empowered to make appointment to the post which the Railway servant, for the time being holds, or
- c) the authority which appointed the Railway Servant to such Service, grade or post, as the case may be, or
- d) where the Railway Servant having been a permanent member of any other Service or having substantively held any other permanent post, has been in continuous employment under the Ministry of Railways, the authority which appointed him to that Service or to any grade in that service or that post;

whichever authority is the highest authority.

- (ii) For the purpose of determining the authorities specified in the different clauses of Rule 2(1)(a), one has to restrict oneself to the post or grade of the Railway Servant and invoke clause (a) or (b), as the case may be.

The whole intent and purpose of Rule 2(1)(a) is to safeguard against an infringement of Article 311(1) of the Constitution of India and ensure that a person can be dealt with only by either an authority competent to appoint persons of his class or the authority who actually appointed him, whoever happens to be higher in rank.

It is not necessary for the General Manager to dismiss/remove Group 'C' and Group 'D' staff who were actually appointed by lower authorities.

(Rly.Board's letter No:E(D&A)88 RG6-12 dt:7.5.90 based on Supreme Court's judgement dt:10.4.80 in the case of S.C.Railway Vs.Sheikh Khadar Mastan and Nookaraja)

21 Authority to institute proceedings:

- i) President or any other authority empowered by him by a general or special order can institute disciplinary proceedings against any Railway Servant or direct a Disciplinary Authority, who is competent to impose atleast one of the penalties specified in Rule 6 on a particular Railway Servant, to institute disciplinary proceedings against that Railway Servant.
- ii) Disciplinary Authority who is competent to impose atleast one of the minor penalties specified in Rule 6 on a gazetted Railway Servant, can also institute major penalty proceedings against that Railway Servant, notwithstanding the fact that that authority is not competent to impose any of the major penalties on that Railway Servant. However, in respect of non-gazetted employees, major penalty proceedings can be instituted only by an authority who is competent to impose atleast one of the major penalties.

(Rule 8 of RS(D&A) Rules read with Rule 2(i) (c)

22. Institution of disciplinary proceedings simultaneous with criminal proceedings:

Disciplinary proceedings under the Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules can be initiated and concluded even if court proceedings are pending since the ingredients of misconduct and the standard of proof required are different in the two types of proceedings. Initiation and conclusion of departmental action in such cases will not amount to a contempt of court unless an order is given by a court of law staying the departmental proceedings. The question whether departmental proceedings should be stayed can be decided by a court of law on merits of each case if the charged official moves the court.

(Railway Board's letter No.E(D&A)71 RG6-36 dated:6.6.74 and Supreme Court's judgements in the cases of Jang Bahadur Singh Vs. Baij Nath Tiwari (1969(1)SCR134) and Kusheshwar Dubey Vs. Bharat Coking Coal Ltd. (AIR 1988 Supreme Court 2118)

23. Orders of the Disciplinary Authority:

The orders of the Disciplinary Authority exonerating the charged official of the charges against him or imposing any of the penalties specified in Rule 6 should be a reasoned Speaking Order and should reflect clearly the basis for the findings of the Disciplinary Authority in regard to the charges.

शास्तियां तथा अनुशासनिक प्राधिकारी

रेल सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई, रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के अनुसार विनियमित की जाती है। इन नियमों के भाग-III के नियम सं. 6,7 और 8 शास्तियों और अनुशासनिक प्राधिकारियों से संबंधित है।

2. किसी रेल सेवक पर इन नियमों के भाग IV में निर्धारित उचित कार्यविधि का अनुसरण करने के बाद, ठोस और पर्याप्त कारणों के आधार पर नियम 6 में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित की जा सकती हैं। इन शास्तियों को दो कोटियों-छोटी और बड़ी-में वर्गीकृत किया गया है। छह छोटी शास्तियां तथा पांच बड़ी शास्तियां हैं जिनकी सूची नीचे दी गई है :-

छोटी शास्तियां

- (i) परिनिंदा करना;
- (ii) विनिर्दिष्ट अवधि तक पदोन्नति रोके रखना;
- (iii) उपेक्षा द्वारा या आदेशों को भंग करने से सरकार या रेल प्रशासन को हुई धन संबंधी हानि के संपूर्ण या किसी भाग की उसके वेतन से वसूली;
- (iii-क) सुविधा पासों या सुविधा टिकट आदेशों या दोनों की सुविधा रोकना;
- (iii-ख) बिना किसी संचयी प्रभाव के तथा उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए काल वेतनमान (टाइम स्केल) के निचले प्रक्रम पर अवनति.
- (iv) विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए वेतन वृद्धियों को इन अतिरिक्त निदेशों के साथ रोके रखना कि ऐसी कालावधि के अवसान पर, यह उसकी भावी वेतन वृद्धियों को रोकने का प्रभाव रखेगा या नहीं रखेगा.

बड़ी शास्तियां

- (v) खंड (iii-ख) में यथा उपबंधित के सिवाय, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए वेतन के काल वेतनमान में निचले प्रक्रम में अवनति इन अतिरिक्त निदेशों के साथ कि ऐसी कालावधि के अवसान पर, यह उसकी भावी वेतन वृद्धियों को रोकने का प्रभाव रखेगा या नहीं रखेगा.

(3)

(vi) वेतन ग्रेड पद या सेवा के निचले काल वेतनमान में अवनति, उस ग्रेड या पद या सेवा में, जिससे रेल सेवक अवनत किया गया था, प्रत्यावर्तन की शर्तों और उस श्रेणी, पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन पर उसकी वरिष्ठता और वेतन के बारे में अतिरिक्त निदेशों सहित या रहित;

(vii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति

(viii) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार या रेल प्रशासन के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी.

(ix) सेवा से पदच्युति, जो सरकार या रेल प्रशासन के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यता: निरर्हता होगी.

3. नियम (iii-ख) की शास्ति अर्थात् बिना किसी संचयी प्रभाव के तथा पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए उसी काल वेतनमान के निचले प्रक्रम पर अवनति, को नियम 6(v) की बड़ी शास्ति अर्थात् काल वेतनमान के निचले स्तर पर अवनति में से अलग किया गया है तथा पासों/सुविधा टिकट आदेशों को रोके रखने की शास्ति के पश्चात इसे रखा गया है. नियम 6(iii ख) में विनिर्दिष्ट तीनों शर्तों को, अर्थात् शास्ति की कालावधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए. शास्ति संचयी प्रभाव के बगैर होनी चाहिए तथा शास्ति का रेल सेवक की पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नियम 11(2) के अधीन वेतन वृद्धियों को रोके रखने की शास्ति को अधिरोपित करने से संबंधित उपबंधों से लिया गया है. नियम 11(2) में यह शर्त है कि इस तथ्य के बावजूद कि वेतनवृद्धियों को रोके रखना छोटी शास्ति है, लेकिन यदि तीन वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए वेतनवृद्धियां रोक ली जाती हैं या संचयी प्रभाव सहित अथवा पेंशनीय लाभों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो नियम 9 के अधीन जांच की जानी चाहिए जैसा कि बड़ी शास्ति के लिए विहित है इसलिए, वेतनमान के निचले स्तर पर अवनति एक छोटी शास्ति हो, इसके लिए नियम 6(iii-ख) में विनिर्दिष्ट सभी तीनों शर्तों पूरी होनी चाहिए.

(नियम 6 (iii-ख) को बोर्ड की दिनांक 16.11.90 की अधिसूचना सं. ई (डी एंड ए) 90 आर जी 6-112 के अंतर्गत समाविष्ट किया गया था.)

4. किसी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसे कदाचार के संबंध में जो उसने अपने नियोजन से पहले किया है और यदि कदाचार इस प्रकार का है कि उसका मौजूदा नियोजन के साथ युक्तिसंगत संबंध तथा इससे वह सेवा में बने रहने के योग्य नहीं रहता तथा अनुपयुक्त हो जाता है, तो कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की सकती है.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 1.6.68 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 67 आर जी-6-11)

5. शास्ति की मात्रा के संबंध में विशेष उपबंध : किसी मामले में शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा मामले के सभी तथ्यों और परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा. बहरहाल मामलों की कतिपय किस्मों में विशिष्ट शास्ति अधिरोपित करने के लिए विद्यमान विशेष उपबंध नीचे दिए गए हैं :-

- i) किसी ऐसे कार्य या लोप का, जो रेल गाड़ियों की टक्करों में परिणत हुआ हो या सामान्यतः परिणत हो गया होता, सामान्यतः नियम 6 के खंड (viii) और (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों (अर्थात् सेवा से हटाया जाना या सेवा से पदच्युति) में से एक शास्ति अधिरोपित की जाएगी.
- ii) खतरे का रेलवे सिगनल पार करने में दोषी पाए गए व्यक्तियों के मामले में सामान्यतः नियम 6 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों (अर्थात् कोई एक बड़ी शास्ति) में से एक शास्ति अधिरोपित की जाएगी.
- iii) किसी सरकारी कार्य को करने या उससे प्रविरत करने के हेतु या इनाम के रूप में वैध पारिश्रमिक के अलावा, किसी व्यक्ति से कोई पारितोषिक स्वीकार करने या प्राप्त करने के दोषी पाए गए व्यक्तियों के मामले में सामान्यतः नियम 6 के खंड (viii) या (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों (अर्थात् सेवा से हटाया जाना या सेवा से पदच्युति) में से एक शास्ति अधिरोपित की जाएगी.

उपर्युक्त सभी तीनों मामलों में, जहां ऐसी शास्ति अधिरोपित नहीं की जाती, वहाँ उसका कारण लिखित रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा.

(संदर्भ:-नियम 6 का पहला और दूसरा परंतुक)

6. वे कारण जिनसे कोई शास्ति नहीं बनती :-

(क) रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम के अधीन 6 के स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित शास्ति की कोटि में नहीं आते :-

- (i) उस सेवा को जिसमें वह है या उस पद को, जिसे वह धारित करता है या उसकी नियुक्ति के निबंधनों को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार किसी विभागीय परीक्षा को पास करने में असफल होने पर रेल सेवक की वेतन वृद्धि रोके रखना;
- (ii) रेल सेवक को काल वेतनमान में दक्षतारोध पर, रोध को पार करने के लिए उसकी अयोग्यता के आधार पर रोकना.(इस अवधारणा को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों में स्थान नहीं दिया गया है)

(5)

(iii) रेल सेवक के मामले पर विचार करने के बाद अधिष्ठाई या स्थानापन्न हैसियत में प्रोन्नति न देना,

(iv) उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद में स्थानापन्न रेल सेवक का इस आधार पर कि वह ऐसी उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद के लिए अनुपयुक्त समझा गया है या उसके आचरण से असबद्ध किसी प्रशासनिक आधार पर निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर प्रतिवर्तन;

(इसे नीचे पैरा 7 में अन्तर्विष्ट इस विषय से संबंधित अनुदेशों के साथ पढ़ा जाए)

(v) किसी अन्य सेवा, ग्रेड या पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त रेल सेवक का उसकी नियुक्ति के निबंधनों के या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, उसकी स्थायी सेवा, ग्रेड या पद पर प्रतिवर्तन;

(vi) ऐसे रेल सेवक की सेवाओं का, जिसकी सेवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण से उधार ली गई थी, उस सरकार या प्राधिकरण के, जिससे ऐसे रेल कर्मचारी की सेवाएं उधार ली गई थीं, प्रतिस्थापन करना;

(vii) रेल सेवक की उसकी अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबंधों के अनुसार, अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(viii) (क) परिवीक्षा पर नियुक्त रेल सेवक की सेवा का उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान या अंत में उसकी नियुक्ति के निबंधनों के या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार पर्यवसान.

(ख) अस्थायी रेल सेवक की सेवा का, भारतीय रेल स्थापना संहिता (पांचवां संस्करण -1985) की जिल्द 1 में अंतर्विष्ट नियम 301 के अनुसार पर्यवसान, या

(ग) किसी करार के अधीन नियोजित रेल सेवक की सेवा का करार के निबंधनों के अनुसार पर्यवसान.

(ix) रेल सेवक का सेवामुक्त करना :

(क) शारीरिक योग्यता के अपेक्षित मानकों के अनुरूप न होने के कारण अकुशलता के लिए;

(ख) स्थापन में कमी होने पर,

(6)

(ग) चेतावनी जारी करना, सरकार की अप्रसन्नता या परामर्श देना, नियमों के अंतर्गत शास्ति नहीं बनती. यह सभी, सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में उठाए जाने वाले प्रशासनिक उपाय है.

(बोर्ड का दिनांक 10.5.77 का पत्र सं.ई (ई एंड ए) 77 आर जी 6-20)

7. प्रतिवर्तन से संबंधित उपबंध

(i) हालांकि असंतोषजनक कार्य के लिए निम्नतर पद पर प्रतिवर्तन शास्ति नहीं है, फिर भी किसी रेल सेवक का जिसने उच्चतर ग्रेड में/पद पर 18 महीने या उससे अधिक स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किए बगैरे असंतोषजनक कार्य के लिए, प्रतिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 9.6.65 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 65/आर जी 6-24)

(ii) उपर्युक्त बचाव केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्होंने पैनल में होने के कारण स्थानापन्न पदों के लिए नियमानुसार अधिकार प्राप्त कर लिया है या जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किए गए हैं. यह उपबंध उन पर लागू नहीं होता जो 'स्टॉप-गैप' उपाय के रूप में पदोन्नति पर स्थानापन्न के तौर पर काम कर रहे हैं और उन मामलों में भी लागू नहीं होता जहां विधिवत रूप से चयनित कर्मचारी को पैनल के रद्द हो जाने के कारण या किसी गलती को ठीक करने के परिणामस्वरूप पैनल की स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण, 18 महीने समाप्त होने के बाद प्रतिवर्तित किया जाना हो.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 15.1.66 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 65-आर जी 6-24)

(iii) बहरहाल, अति विशेष परिस्थितियों में, महाप्रबंधक अपने व्यक्तिगत फैसले के तहत, 18 महीने की समय-सीमा में छूट देते हुए स्थानापन्न कर्मचारी को प्रतिवर्तित कर सकते हैं.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 22.11.66 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 65/आर जी 6-24)

(iv) उपर्युक्त पैरा (i),(ii),(iii) में अंतर्विष्ट उपबंधों को रेलों को दोहराया गया.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 20.4.85 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 85आर जी 6-9)

8. शास्तियों में हस्तक्षेप करने में न्यायालय की शक्तियां

- (i) जहां तक अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की मात्रा का प्रश्न है; सक्षम प्राधिकारी के निर्णय में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 31.8.87 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 87/आर जी 6-87)

- (ii) 1988 की सिविल अपील सं.1709-भारत संघ बनाम परमानंद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 14.3.89 के अपने फैसले में निम्नलिखित की पुष्टि की थी :-
- (क) अनुशासनिक मामलों या दंडों में हस्तक्षेप करने के अधिकरण के अधिकार क्षेत्र की तुलना अपीली अधिकार क्षेत्र से नहीं की जा सकती है।
- (ख) पूछताछ अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्षों में, जब तक कि ये मनमाने या अनुचित न हों, अधिकरण हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
- (ग) यदि पूछताछ, नियमों के अनुरूप तथा नैसर्गिक न्याय के अनुसार की जा रही हो, तो न्याय के अंत में क्या दंड दिया जाना है यह बात अनन्य रूप से सक्षम प्राधिकारी के अधिकार- क्षेत्र में आती है।
- (घ) यदि शास्ति न्यायोचित तरीके से तथा कदाचार के सिद्ध हो जाने पर अधिरोपित की गई है तो, अधिकरण को अपना निर्णय प्रतिस्थापित करने का अधिकार नहीं है। शास्ति की पर्याप्तता से, यदि वह दुर्भावपूर्ण न हो, अधिकरण का कोई वास्ता नहीं है।
- (ङ.) यदि पूछताछ अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के निर्णय, साक्ष्यों पर आधारित हैं, जिनमें से कुछ असंगत या असंबद्ध हो सकते हैं, तो भी अधिकरण शास्ति के संबंध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
- (च) उपर्युक्त से अपवादिक के रूप में, जहां किसी व्यक्ति को दंड-न्यायालय में दोषसिद्ध हो जाने के आधार पर केवल रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम के नियम 14 (i) के तहत ही सेवा से हटाया या पदच्युत आदि किया गया है, अधिकरण आपराधिक आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शास्ति की पर्याप्तता या इसकी युक्तियुक्तता की जांच कर सकता है।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 8.6.89 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 87आर जी 6-87)

- (iii) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम समरेंद्र किशोर एंडो (1994(i) एसएलआर 516) और भारत संघ बनाम उपेंद्र सिंह (1994-27 एटीसी 200) के मामलों के संबंध में, उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में दोहराया है कि उच्च न्यायालय या अधिकरण को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय का अपने निर्णय से प्रतिस्थापित करने का अधिकार नहीं है। धारा 226 के अंतर्गत अधिकरण का अधिकार-क्षेत्र, उच्च न्यायालय की

शक्तियों के बराबर ही है जो कि न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है. आरोपों की शुद्धता या यथार्थता में जाना अधिकरण के अधिकार-क्षेत्र में नहीं है, वह केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है, यदि निर्धारित आरोप के अनुसार कदाचार का मामला न बनता हो, या अन्य अनियमितताओं का दोषी न ठहराया गया हो या निर्धारित आरोप किसी कानून के विपरीत लगाए गए हों,

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 23.1.95 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 94 आर जी 6-87)

9. परिनिंदा करना

यदि कार्यवाहियों के अंत में यह पाया जाता है कि रेलवे सेवक पर कुछ दोष सिद्ध होते हैं, तो चेतावनी/सरकार की अप्रसन्नता/परामर्श, जो कि मान्यता प्राप्त शास्तियां नहीं हैं, अधिरोपित नहीं की जानी चाहिए. ऐसे मामलों में, कम से कम परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 21.1.93 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 92/आर जी 6-149 (ए) बी)

10. पदोन्नति रोके रखना

यद्यपि पदोन्नति रोके रखना, नियम 6 के अंतर्गत एक विनिर्दिष्ट शास्ति है तो भी वेतन वृद्धि आदि को रोके रखने की शास्ति की अवधि के दौरान पदोन्नति न होना, दो शास्तियां अधिरोपित करना नहीं समझा जाए. ऐसी परिस्थितियों में पदोन्नति न देना अतिरिक्त शास्ति नहीं है बल्कि उसके आचरण का परिणाम है.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 22/29.10.91 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 91/आर जी 6-68)

11. हानि की वसूली

(i) कर्मचारी की ओर से अवहेलना या आदेशों के भंग आदि के कारण सरकार को हुई हानि के मामले में, हानि की वेतन से वसूली करने की शास्ति के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी एक उसी आदेश द्वारा तथा एक उसी कार्यवाही के अनुसरण में, भारतीय रेल स्थापना संहिता (1959 संस्करण) के नियम 1707 के खंड 1(i),(ii) और (iv) तथा खंड 2(i) और (ii) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक (रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 6(i),(ii),(iii-क),(iii-ख),(iv) तथा (vi) में विनिर्दिष्ट शास्तियों के बराबर शास्ति देने के लिए स्वतंत्र है. इसे दोहरा दंड नहीं समझा जाएगा.

(बोर्ड का दिनांक 17.5.62 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 62 आर जी 6-26)

(9)

(ii) हानियों की वसूली की मात्रा अधिक होने पर, किस्तों का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि इससे रेल सेवक या उसके परिवार पर अनुचित बोझ न पड़े.

(बोर्ड का दिनांक 30.1.2001 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 2000 आर जी 6-64)

12. सुविधा पासों/सुविधा टिकट आदेशों को रोके रखना

(i) सुविधा पासों/टिकट आदेशों को एक वर्ष से कम की अवधि के लिए रोके रखने की शास्ति बहुत ही मामूली अपराधों तक ही सीमित रखी जानी चाहिए क्योंकि शास्ति की अवधि के दौरान होने वाली मामूली असुविधा के सिवाय यह शास्ति प्रभावी शास्ति सिद्ध नहीं होती क्योंकि बाद में जैसे ही शास्ति की अवधि पूरी होती है कर्मचारी, कैलेंडर वर्ष में देय सभी सुविधा पासों/सुविधा टिकट आदेशों का लाभ उठा सकता है.

(बोर्ड का दिनांक 27.7.61 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 61/आर जी 6-34)

(ii) सुविधा पासों/सुविधा टिकट आदेशों को रोके रखने की शास्ति को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शास्ति को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अधिरोपित करने की बजाय सैटों के संबंध में अधिरोपित की जानी चाहिए. उन मामलों में जहां कर्मचारी ने कैलेंडर वर्ष में देय सभी पासों/सुविधा टिकट आदेशों का लाभ पहले ही उठा लिया है, अगले वर्ष के खाते में पासों/सुविधा टिकट आदेशों को रोके रखना चाहिए.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 14.12.66 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 66/आर जी 6-57)

(iii) हालांकि रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमों में रोके जाने वाले पासों/सुविधा टिकट आदेशों के सैटों की संख्या के संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है लेकिन नियम की मर्यादा ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक छोटी शास्ति है जिसे नियमित पूछताछ के बगैर अधिरोपित किया जा सकता है, पासों/सुविधा टिकट आदेशों को काफी संख्या में नहीं रोका जाना चाहिए.

(पूर्वोत्तर रेलवे को प्रेषित दिनांक 19/25.3.97 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 97 आर जी 6-6)

(iv) सेवा के दौरान किए गए अपराधों के लिए, रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम के अंतर्गत शास्ति के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद के मानार्थ पासों को नहीं रोका जा सकता. ऐसे मामलों में एकमात्र शास्ति भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द II के नियम 2308 (जिसे अब रेल सेवक (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 9 में शामिल किया गया है) के अंतर्गत पेंशन संबंधी लाभों में कटौती है.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 29.5.89 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 89 आर जी 6-56)

लेकिन, रेलवे क्वार्टर को अनधिकृत रूप से रोके रखने के लिए रेल सेवक (पास) नियम में निर्धारित उपबंधों और कार्यविधि के अनुसार, सेवानिवृत्ति के बाद के मानार्थ पासों के रोका जा सकता है. इस प्रयोजन के लिए रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमों के उपबंध लागू करने की आवश्यकता नहीं है.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 3.11.99 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 99/पी एस 5-1/41)

13. वेतन वृद्धि रोके रखना

(i) यदि वेतनवृद्धि रोके रखने की शास्ति अधिरोपित करने के बाद रेल सेवक की पदोन्नति देय हो जाए तो शास्ति के समाप्त होने के बाद ही उसे पदोन्नत किया जाए. लेकिन, जहां वेतनवृद्धि रोके रखने की शास्ति भावी तारीख से शुरू होनी है, वहां कर्मचारी को उसकी बारी के अनुसार पदोन्नत किया जाना चाहिए और पदोन्नति ग्रेड में उस अवधि के लिए शास्ति अधिरोपित की जाए जिससे उसे अधिक आर्थिक हानि न हो.

(अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में रेलवे बोर्ड का दिनांक 21.1.93 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 92 आर जी 6-149 (ए) तथा राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में दिनांक 12.2.93 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 92 आर जी 6-185)

(ii) वेतनवृद्धि रोके रखने के एक के बाद दूसरे अधिरोपित दंड से संबंधित विभिन्न आदेशों को नीचे दर्शाए गए अनुसार लागू करना चाहिए :-

दिनांक	वेतन जब दंड अधिरोपित न किया गया हो (रु.)	वेतन जब 1 वर्ष के लिए वेतनवृद्धि रोकने का केवल एक दंड अधिरोपित किया गया हो (रु.)	वेतन जब वेतनवृद्धि रोके रखने के दो क्रमिक दंड एक-एक वर्ष के लिए अधिरोपित किए गए हों (रु.)	वेतन जब वेतनवृद्धि रोकने का केवल एक दंड एक वर्ष के लिए एक साथ अधिरोपित किया गया हो (रु.)	वेतन जब पहले एक वर्ष के लिए एक साथ तथा उसके बाद 1 वर्ष के लिए वेतनवृद्धि रोकने के दंड अधिरोपित किए गए हों (रु.)
1.1.85	400	400	400	400	400
		-1985 में	अधिरोपित	किए	गए दंड
1.1.86	425	400	400	400	400
1.1.87	450	450	425	425	400
1.1.88	475	475	475	450	450
1.1.89	500	500	500	475	475

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 11.3.1986 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 85 आर जी 6-57)

(iii) वेतनवृद्धियां रोके रखने की शास्ति केवल उन वेतनवृद्धियों के लिए दी जाएगी जिन्हें पाने के लिए कर्मचारी, शास्ति के आदेश जारी होने की तारीख तक हकदार नहीं हुआ हो. वह वेतन वृद्धि जिसके लिए कर्मचारी शास्ति अधिरोपित किए जाने की तारीख से पहले हकदार हो गया हो (लेकिन वस्तुतः आहरित नहीं की गई हो) उसे नहीं रोका जा सकता है.

(बोर्ड का दिनांक 2.7.60 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 60 आर जी 6-20)

(iv) जब वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाती है, तो शास्ति संबंधी आदेशों के अनुसार केवल वही वेतन वृद्धियां रोकी जानी चाहिए जो काल वेतनमान में सामान्य तरीके से प्रोद्भूत होती हैं. शास्ति संबंधी आदेशों से विभागीय या अन्य तकनीकी परीक्षा पास करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की गई अगिम वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियाँ) प्रोद्भूत होने में बाधा नहीं आनी चाहिए. इसी प्रकार, उन मामलों में जहां विनिर्दिष्ट अवधि के लिए काल वेतनमान में निचले प्रक्रम पर अवनति की शास्ति अधिरोपित की गई हो, अगिम वेतनवृद्धियों के प्रोद्भूत होने में बाधा नहीं होनी चाहिए.

(बोर्ड का दिनांक 7.5.76 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 76- आर जी 6-2)

(v) "पदोन्नति रोकने" "वेतनवृद्धियां रोकने" की शास्ति को, इनके स्वरूप के अनुसार, स्थायी तौर पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता. इसे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ही अधिरोपित किया जा सकता है.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 27.8.1966 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 66- आर जी 6-20)

(vi) वेतनवृद्धियां रोकने की शास्ति एक छोटी शास्ति होते हुए भी, यदि इसे तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अधिरोपित किया जाना हो या किसी अवधि के लिए संचयी प्रभाव सहित अधिरोपित किया जाना हो या शास्ति द्वारा रेलवे सेवक की पेंशन या भविष्य निधि में विशेष अंशदान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो नियम 9 के अधीन जांच की जानी जरूरी है.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 28.2.68 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 67 आर जी 6-13 तथा रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) का नियम 11(2))

(vii) अनुशासनिक प्राधिकारी को वेतनवृद्धियां रोकने के आदेश देने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि संबंधित कर्मचारी को ये वेतनवृद्धियां अर्जित करने की संभावना बनी रहे, अर्थात् वह अपने ग्रेड के अधिकतम पर न हो. ऐसी स्थिति में, मामले को अपने आदेशों की समीक्षा और नए आदेश जारी करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के पास वापस भेज देना चाहिए : संयोगवश यही एक स्थिति है, जहां प्राधिकारी अपने आदेशों की समीक्षा कर सकता है.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 4.1.83 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 82- आर जी 6-84 तथा केस नं. ई (डी एंड ए) 92-ए ई 2-2)

14. समान वेतनमान में निचले प्रक्रम पर अवनति :-

(i) काल वेतनमान में निचले प्रक्रम पर अवनति की शास्ति में निम्नलिखित के बारे में उल्लेख करना चाहिए :-

(क) वह तारीख जब से यह शास्ति प्रभावी होगी तथा वह अवधि, जब तक के लिए शास्ति चालू रहेगी;

(ख) काल वेतनमान का वह स्तर (रुपयों में) जहां तक वेतन घटाया गया है; तथा

(ग) वह अवधि (वर्ष और माह में), यदि कोई हो, जहां तक उपयुक्त (क) में संदर्भित अवधि भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने के लिए बनी रहेगी अर्थात् कुल अवधि में से वह अवधि जिसके लिए शास्ति का संचयी प्रभाव बना रहेगा. यह अवधि शास्ति के चालू रहने की अवधि से अधिक की नहीं होगी.

(ii) अनिर्दिष्ट अवधि के लिए या स्थायी तौर पर काल वेतनमान के निचले प्रक्रम पर अवनति नियमों के अधीन अनुमेय नहीं है . जब एक कर्मचारी का वेतन एक विशेष प्रक्रम तक घटाया जाता है तो उसका वेतन उस प्रक्रम पर अवनति की सम्पूर्ण अवधि के लिए स्थिर रहेगा.

(iii) यदि काल वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम में अवनति की शास्ति भावी वेतनवृद्धियों के स्थगन के लिए प्रचालित नहीं की जानी है तो शास्ति की समाप्ति पर कर्मचारी को वह वेतन दिया जाए जो वह अवनति न किए जाने पर लेता. यदि शास्ति किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए भावी वेतनवृद्धियों के स्थगन के लिए प्रचालित की जानी हो तो, उस अवधि जिसके लिए वेतनवृद्धियां स्थगित की जानी थी, को वेतनवृद्धियों के लिए न गिनकर शास्ति की समाप्ति पर वेतन निर्धारित किया जाए.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 21.12.1960 के पत्र सं. एफ(ई) 60 एफ आर-1/2 के साथ पठित दिनांक 22.01.1960 का पत्र सं.एफ(ई)57एफआर-1/1)

15. निम्नतर सेवा/ग्रेड/पद पर अवनति

i) (क) जब तक कि यह स्पष्ट न हो कि अवनति स्थायी होगी अथवा अनिश्चित अवधि के लिए होगी अर्थात् उस तारीख तक जब तक अवनति के आदेश के बाद उसके निष्पादन के आधार पर उसे पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता, निम्नतर ग्रेड अथवा पद पर अवनति की शास्ति निरपवाद रूप से विशिष्ट अवधि के लिए लगाई जाए. जब ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के आदेश में अवनति की अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो तथा इसके साथ यह भी आदेश हो. जिसमें रेल सेवक को पदोन्नति के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया गया हो, तो पुनः पदोन्नति का प्रश्न स्पष्टतया ही नहीं उठेगा.

(ख) जब निम्नतर ग्रेड या पद पर अवनति विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो, तो शास्ति की समाप्ति पर कर्मचारी को उस पद पर स्वतः ही पदोन्नत कर दिया जाएगा जिस पद से उसे अवनत किया गया था. अवनति के ऐसे आदेश में यह स्पष्ट रूप से दिया जाए :-

- i) अवनति की अवधि; तथा
- ii) क्या पुनः पदोन्नति पर, रेल सेवक उस उच्चतर ग्रेड में मूल वेतन तथा वरिष्ठता पुनः प्राप्त करेगा जिससे उसे अवनत किया गया था.

जहां अवनति को भावी वेतनवृद्धियों के स्थगन के लिए प्रचालित नहीं करना है, वहां रेल सेवक की वरिष्ठता उच्चतर सेवा, ग्रेड अथवा पद अथवा उच्चतर काल वेतनमान में वहां निर्धारित की जाएगी जहां उसकी अवनति न होने की स्थिति में निर्धारित की जाती. जहां अवनति को भावी वेतनवृद्धियों के स्थगन के लिए प्रचालित करना है, वहां रेल सेवक की वरिष्ठता, उसकी पदावनति से पहले उच्चतर सेवा, ग्रेड अथवा पद पर उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि का लाभ देकर निर्धारित की जाए.

(ग) यदि अवनति के आदेश अनिश्चित अवधि के लिए हो तो आदेश निम्नानुसार बनाया जाए:-

'ए को एक्स के निम्नतर पद/ग्रेड/सेवा में तब तक के लिए अवनत किया जाता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे वाई के उच्चतर पद/ग्रेड/सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता.'

उन मामलों में जिनमें यह अभिप्राय है कि रेल सेवक की मूल पद पर पुनः पदोन्नति के लिए उपयुक्तता के बारे में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ही विचार किया जाएगा, आदेश निम्नानुसार दिए जाएं :

'ए को एक्स के निम्नतर पद/ग्रेड/सेवा में तब तक के लिए अवनत किया जाता है जब तक कि वाई के उच्चतर पद/ग्रेड/सेवा के लिए उसे इस आदेश की तारीख से ___ वर्ष (वर्षों) की अवधि के बाद उपयुक्त नहीं पाया जाता.'

(बोर्ड का दिनांक 30.07.64 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 62 आर जी 6-46)

(ii) निम्नतर ग्रेड में अनिश्चित अवधि के लिए अवनति के मामलों में, उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पुनः पदोन्नति के आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किए जाएंगे तथा इस मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी की कोई भूमिका नहीं है.

(बोर्ड का दिनांक 26.5.1970 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 70 आर जी 6-15)

(14)

(iii) यदि निम्नतर ग्रेड में अवनति की शास्ति विनिर्दिष्ट अवधि के लिए है तथा आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उच्चतर ग्रेड में पुनः बहाल होने पर उच्चतर ग्रेड में वरिष्ठता तथा वेतनवृद्धि पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यह माना जाए कि आदेश का वरिष्ठता अथवा वेतनवृद्धियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 22.02.74 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 73 आर जी 6-5)

(iv) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निम्नतर ग्रेड में अवनति की शास्ति समाप्त होने के बाद कर्मचारी को स्वतः ही उस पद पर पुनः पदोन्नत कर दिया जाता है जिस पद से उसे अवनत किया गया था तथा इसके लिए यदि आवश्यक हो तो कनिष्ठतम कर्मचारी को पदावनत भी किया जा सकता है, जिसने, उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को हिसाब में लिए बिना उस ग्रेड में स्थानापन्न रूप से काम करना शुरू कर दिया हो। लेकिन, यदि कोई और खाली पद हो तो कनिष्ठतम कर्मचारी को पदावनत करने की आवश्यकता नहीं है तथा उसे खाली पद पर समायोजित किया जा सकता है। यदि बाद में कभी उससे उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति का प्रश्न उठता है, तो इस का निर्णय लेने के लिए कि उनमें से किसे पदावनत अथवा पदोन्नत किया जाए, उस ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर कर्मचारियों की वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाए।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 26.10.64 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 62 आर जी 6-46)

(v) रेल सेवक को निम्नतर ग्रेड में पदावनत करने तथा निम्नतर ग्रेड में उसका वेतन निर्धारित करने पर आगे निदेश देने के अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश का मतलब दोहरा दंड नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भारत संघ (1975(1)एस एल आर 511) बनाम श्यामा एवं अन्य के मामले में 15.01.74 को इस आशय का विनिर्णय दिया था।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 12.12.1989 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 89 आर जी 6-108)

(vi) निम्नतर ग्रेड में एक बार वेतन निर्धारित हो जाने पर निम्नतर ग्रेड में वेतनवृद्धियां सामान्य नियमों के अंतर्गत नियमित की जाएंगी जब तक कि निम्नतर ग्रेड में वेतनवृद्धियां आदि भी रोक नहीं ली जाती हैं।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 27.10.60 का पत्र सं. एफ (ई) 60- एफआर-1/4(I))

(vii) निम्नतर ग्रेड में अवनति की शास्ति कर्मचारी विशेष के ग्रेड को उस ग्रेड से निम्नतर करके नहीं लगाई जा सकती जिस ग्रेड में मूल रूप से उसकी नियुक्ति हुई थी।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 7.3.89 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 89 आर जी 6-17)

(viii) यदि विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निम्नतर ग्रेड में अवनति की शास्ति भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए प्रचालित करना नहीं है तो उच्चतर ग्रेड में पुनः बहाली पर कर्मचारी को वही वेतन दिया जाए जो वह निम्नतर ग्रेड में पदावनत न किए जाने पर लेता अर्थात् निम्नतर ग्रेड में की गई सेवा की गणना उच्चतर ग्रेड में वेतनवृद्धियों के लिए की जाएगी. यदि शास्ति भावी वेतनवृद्धियों का स्थगित करने के लिए प्रचालित करना हो तो उस अवधि जिसके लिए पदावनति की गई थी, को उच्चतर ग्रेड में वेतनवृद्धि के लिए न गिनकर उच्चतर ग्रेड में पुनः बहाली पर वेतन निर्धारित किया जाए.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 27.10.60 का पत्र सं. एफ (ई) 60 एफ आर-1/4)

16. जब अपील/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा रेलवे कर्मचारी पर अधिरोपित शास्ति को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव हो, तो उच्चतर शास्ति लगाते समय मूल शास्ति को रद्द करने की व्यवहार्यता के बारे में विचार किया जाए. लेकिन, यदि कर्मचारी की पहले ही पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से शास्ति पूरी हो चुकी हो तथा उसे रद्द करना व्यावहारिक न हो तो अपील/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा उच्चतर शास्ति अधिरोपित किए जाने का निर्णय लेते समय मूल शास्ति से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखा जाए. ऐसे मामलों में दंड को बढ़ाकर ऐसी अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित किया जाना नियमानुसार है.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 29.2.56 का पत्र सं. ई 55 आर जी 6-14 तथा दिनांक 12.12.72 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 71 आर जी 6-18)

वेतनवृद्धि रोकने, उसी वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम तक वेतन में कमी तथा निम्नतर ग्रेड में अवनति किए जाने संबंधी शास्ति अधिरोपित किए जाने से संबंधित उदाहरण

वेतनवृद्धि	5500-175-9000
वेतन	6200
वेतनवृद्धि की तारीख	1 जून
शास्ति अधिरोपित करने की तारीख	1.3.2000

क) भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के प्रभाव के बिना 2 वर्ष के लिए वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति (इसे संचयी प्रभाव के बिना, अस्थायी प्रभाव के साथ आदि भी कहा जाता है)

शास्ति के प्रभावी होने की तारीख	1.6.2000 (अर्थात् उसी तारीख से जब अगली वेतनवृद्धि आती हो)
1.6.2000 को वेतन	6200
1.6.2001 को वेतन	6200
1.6.2002 को वेतन	6725

(शास्ति की समाप्ति के बाद देय वेतनवृद्धि के साथ रोकी गई वेतनवृद्धियां रिलीज़ की जाती हैं)

(16)

ख) 2 वर्षों के लिए वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति जो भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव रखने वाला होगा (इसे संचयी प्रभाव के साथ, स्थायी प्रभाव के साथ आदि भी कहा जाता है)

शास्ति के प्रभावी होने की तारीख	1.6.2000
1.6.2000 को वेतन	6200
1.6.2001 को वेतन	6200
1.6.2002 को वेतन	6375

(रोकी गई वेतनवृद्धियां रिलीज़ नहीं की जाती है, शास्ति की समाप्ति पर देय वेतनवृद्धि ही प्रदान की जाती है)

ग) भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के प्रभाव के बिना अर्थात् संचयी प्रभाव के बिना, 2 वर्षों के लिए उसी वेतनमान में 5850 के निम्नतर प्रक्रम तक वेतन में दो प्रक्रम की कमी करने की शास्ति

शास्ति के प्रभावी होने की तारीख	1.3.2000
1.3.2000 को वेतन	5850 (तत्काल प्रभाव से)
28.2.2002 तक वेतन इस स्तर पर स्थिर रहेगा	
1.3.2002 को वेतन	6550 (पहले वेतन उस स्तर तक बहाल किया जाएगा जिस स्तर पर इसमें कटौती की गई थी तथा उसके बाद, शास्ति की अवधि के दौरान नहीं दी गई वेतन वृद्धियां दी जाएंगी)
1.6.2002 को वेतन	6725 (अगली वेतनवृद्धि देकर)

घ) भावी वेतनवृद्धियों के स्थगन के प्रभाव सहित अर्थात् संचयी प्रभाव सहित 2 वर्षों के लिए उसी वेतनमान में 5850 के प्रक्रम तक वेतन में दो प्रक्रमों की कटौती करने की शास्ति

शास्ति के प्रभावी होने की तारीख	1.3.2000 (अर्थात् तत्काल प्रभाव से)
1.3.2000 को वेतन	5850
28.2.2002 तक वेतन इस स्तर पर स्थिर रहेगा.	
1.3.2002 को वेतन	6200 (उसी स्तर पर वेतन बहाल किया जाएगा जिस स्तर से इसमें कटौती की गई थी परंतु शास्ति की अवधि के दौरान नहीं दी गई वेतनवृद्धियां शास्ति की समाप्ति के बाद भी नहीं दी जाती हैं.)
1.6.2002 को वेतन	6375 (अगली वेतनवृद्धि देकर)

ड.) भावी वेतनवृद्धियों के स्थगन के प्रभाव के बिना, 2 वर्षों के लिए 4500-125-7000 के निम्नतर वेतनमान में कटौती तथा 5000 रु. पर वेतन निर्धारित करने की शास्ति.

शास्ति के प्रभावी होने की तारीख	1.3.2000 (अर्थात् तत्काल प्रभाव से)
1.3.2000 को वेतन	5000

28.2.2002 तक वेतन इस स्तर पर स्थिर रहेगा, यदि शास्ति आदेश में यह अनुबद्ध है कि शास्ति की अवधि के दौरान निम्नतर ग्रेड में भी वेतनवृद्धियां नहीं दी जाएगी, या यदि ऐसा कोई अनुबंध नहीं है तो 1.3.2001 को वेतन बढ़ाकर 5125 रु. हो जाएगा.

1.3.2002 को वेतन	6550 (इस तारीख को उच्चतर वेतनमान और शास्ति के अधिरोपण के समय लिया जा रहा वेतन बहाल हो जाएगा और उसके बाद उच्चतर ग्रेड में वेतनवृद्धि जो शास्ति की अवधि के दौरान प्रोद्भूत हुई हो, प्रदान की जाएगी)
------------------	---

1.6.2002	6725 (अगली वेतनवृद्धि देकर)
----------	-----------------------------

च) शास्ति उपर्युक्त (ड.) के अनुरूप परन्तु भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने के प्रभाव सहित शास्ति के प्रभावी होने की तारीख : 1.3.2000 (अर्थात् तत्काल प्रभाव से)

वेतन 28.2.2002 तक इस स्तर पर स्थिर रहेगा, यदि शास्ति आदेश में यह अनुबंध है कि शास्ति की अवधि के दौरान निम्नतर ग्रेड में भी वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी, अथवा यदि ऐसा कोई अनुबंध नहीं है तो 1.3.2001 को वेतन बढ़ाकर 5125 कर दिया जाएगा.

1.3.2002 को वेतन :	6200 (उच्चतर वेतनमान और शास्ति के अधिरोपण के समय आहरित किया जा रहा वेतन बहाल हो जाएगा परन्तु शास्ति की अवधि के दौरान प्रोद्भूत वेतनवृद्धियां प्रदान नहीं की जाएगी)
--------------------	--

1.6.2002 :	6375 (अगली वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी)
------------	--

17. अनिवार्य सेवानिवृत्ति

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द II (छठा संस्करण) के नियम 1802, 1803 और 1804 के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति, समयपूर्व सेवानिवृत्ति से भिन्न है। समयपूर्व सेवानिवृत्ति शास्ति नहीं है बल्कि इसका आदेश प्रशासनिक उपाय के रूप में दिया जाता है। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 311 (2), जिसमें केवल बर्खास्तगी, सेवा से हटाना तथा रैंक में कमी से संबंधित शास्तियों का उल्लेख है, में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का उल्लेख नहीं है तथापि अनिवार्य सेवानिवृत्ति को नियमों में एक बड़ी शास्ति के रूप में शामिल किया गया है और यह बर्खास्तगी तथा सेवा से हटाने की शास्ति की तुलना में कम गंभीर है।

18. अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी तथा सेवा से हटाने के मामले में पेंशन/उपदान प्रदान करना

रेल कर्मचारी जिसे शास्ति स्वरूप सेवा से अनिवार्यतः निवृत्त किया जाता है उसे रेल सेवा (पेंशन) नियम 1993 के नियम 64 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार पेंशन/उपदान प्रदान किया जाता है। बर्खास्त अथवा सेवा से हटाए गए रेल कर्मचारी की पेंशन और उपदान जब्त कर लिया जाता है। बहरहाल, उसे सेवा से बर्खास्त अथवा हटाने वाला सक्षम प्राधिकारी, यदि समझे कि यह मामला विशेष रूप से विचार करने लायक है तो, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 65 के अनुसार अनुकंपा भत्ता स्वीकृत कर सकता है।

19. अनुशासनिक प्राधिकारी

इन नियमों में अनुशासनिक प्राधिकारी को विभिन्न प्रयोजनों के लिए नीचे लिखे अनुसार परिभाषित किया गया है:-

(क) किसी रेल कर्मचारी पर शास्ति लगाने के प्रयोजन के लिए, नियमों के अंतर्गत उस पर शास्ति लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी होगा।

(ख) नियम 9 (बड़ी शास्ति अधिरोपित करने अर्थात् जांच आदि करने के लिए अनुसरण की जाने वाली कार्यविधि के प्रयोजन के लिए राजपत्रित तथा अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए सक्षम प्राधिकारी को अलग-अलग रूप से परिभाषित किया गया है। राजपत्रित कर्मचारियों के लिए नियम 6 में विनिर्दिष्ट किसी भी तरह की शास्ति (बड़ी या छोटी) लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी होगा। अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए नियम 6 में विनिर्दिष्ट कोई भी बड़ी शास्ति लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी होगा।

(ग) नियम 11 (1) (छोटी शास्ति अधिरोपित करने अर्थात् आरोप ज्ञापन जारी करने, जहां कहीं आवश्यक हो जांच करने आदि, के लिए कार्यविधि) के खंड (क) और (ख) के प्रयोजन के लिए

राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों रेल कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार की शास्ति लगाने वाला प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी होगा.

(घ) नियम 6 में विनिर्दिष्ट शास्तियां लगाने वाले सक्षम प्राधिकारियों का उल्लेख रेल सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमों की अनुसूची I, II और III में किया गया है. बहरहाल, राष्ट्रपति किसी भी रेल कर्मचारी पर नियम 6 में उल्लिखित कोई भी शास्ति लगा सकते हैं भले ही इस प्राधिकारी का उल्लेख अनुसूची में किया गया हो या नहीं.

(रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमों के नियम 2(i)(ग) और 7(1), 7(2))

व्याख्या

(i) किसी राजपत्रित रेल कर्मचारी पर नियम 6 में विनिर्दिष्ट शास्तिओं में से एक शास्ति लगाने के लिए अनुसूचियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी, छोटी/बड़ी शास्ति का आरोप पत्र जारी करने, नियम 9 के अंतर्गत जांच करने आदि के प्रयोजनार्थ अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है परंतु रेल कर्मचारी पर वह वही शास्ति लगा सकता है जिसके लिए अनुसूचियों द्वारा उसे प्राधिकृत किया गया है. अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में, जहां तक छोटी शास्ति से संबंधित कार्यवाहियों का संबंध है तो उपर्युक्त स्थिति ही लागू होगी परंतु बड़ी शास्ति की कार्यवाहियों के मामले में, कम से कम एक बड़ी शास्ति लगाने के लिए अनुसूची के अनुसार सक्षम प्राधिकारी केवल नियम 9 के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है.

(ii) अनुसूची-I में, क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयों से इतर यूनिटों (रेलवे बोर्ड कार्यालय में, अ.अ.मा.सं., रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों यथा इरिसेन, इरिसेट, इरीन और इरीमी, रेलवे स्टाफ कॉलेज, रेल भर्ती बोर्ड आदि) में अराजपत्रित कर्मचारियों से संबंधित अनुशासनिक एवं अपील प्राधिकारियों का उल्लेख है. अनुसूची-II में क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयों के अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न ग्रेडों के रेल अधिकारियों तथा वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की अनुशासन तथा अपील शक्तियों का उल्लेख है. अनुसूची-I और II में उल्लेख किया गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाना और बर्खास्तगी जैसी शास्तियां केवल नियुक्ति प्राधिकारी अथवा उनके रैंक के समकक्ष प्राधिकारी अथवा इनसे उच्चतर किसी प्राधिकारी द्वारा लगाई जा सकती हैं. अनुसूची-III में रेल अधिकारियों (समूह "ख" और समूह "क") से संबंधित अनुशासन एवं अपील प्राधिकारियों का उल्लेख किया गया है. अनुसूची-I, II और III की एक-एक प्रति अनुबंध 'क', 'ख' और 'ग' के रूप में संलग्न है.

(iii) रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमों की अनुसूची-III के अंतर्गत प्रमुख विभागाध्यक्षों की अनुशासनिक शक्तियों का उपयोग, नए जोनों तथा उत्पादन इकाइयों में प्रमुख

विभागाध्यक्षों के पद न होने के कारण, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के उन अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है जो समन्वयकर्ता विभागाध्यक्षों के रूप में या स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और रेल प्रशिक्षण संस्थानों के निदेशकों द्वारा भी किया जा सकता है।

(बोर्ड का दिनांक 3.1.2000 और 1.6.2000 के पत्र सं. ई (डी एंड ए) 98-आर जी 6-52)

(iv) यद्यपि अनुसूचियों में अनुशासनिक प्राधिकारी के स्तर का उल्लेख किया गया है तथापि प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाला प्राधिकारी उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में आरोपी कर्मचारी कार्य करता है। यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई चलते रहने के दौरान उसका स्थानांतरण हो जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी भी तदनुसार बदल जाएगा जो उसके नए पद के अनुसार होगा। इसके अलावा, किसी कर्मचारी के लिए केवल एक ही अनुशासनिक प्राधिकारी हो सकता है। जैसे अर्थात् परिचालनिक कर्मचारी जो मंडल परिचालन प्रबंधक के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, के लिए यह केवल मंडल परिचालन प्रबंधक ही अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है न कि मंडल वाणिज्य प्रबंधक या मंडल संरक्षा अधिकारी। भले ही किया गया कदाचार वाणिज्यिक नियमों अथवा संरक्षा नियमों के उल्लंघन से संबंधित हो।

(बोर्ड का दिनांक 28.7.62 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 60-आर जी 6-30, 16.10.73 का ई (डी एंड ए) 72 आर जी 6-13 तथा 4.8.97 का ई (डी एंड ए) 94 आर जी 6-69)

(v) किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले रेल कर्मचारी के मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी का निर्धारण अनुशासनिक कार्रवाई के समय रेल कर्मचारी द्वारा स्थानापन्न रूप से धारित पद के अनुरूप किया जाएगा।

(रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमों का रेलवे नियम 7(3))

(vi) वास्तविक नियुक्ति प्राधिकारी का निर्धारण करने के लिए रिकॉर्डों अथवा नियुक्ति पत्रों के उपलब्ध न होने के मामले में, महाप्रबंधक को नियोक्ता प्राधिकारी के रूप में माना जाए।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 21.2.64 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 63-आर जी 6-23)

(vii) तथ्य अन्वेषण जांच अथवा दुर्घटना जांच के सदस्य अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके प्राधिकारी को अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि आरोपित कर्मचारी को आशंका रहेगी कि पहले ही अपनी राय व्यक्त कर चुका अधिकारी अनुशासनिक

प्राधिकारी के रूप में भी अपने पूर्व निष्कर्षों से अलग नहीं होगा. अतः उसे न्याय नहीं मिलेगा. लेकिन, यदि रिपोर्ट में अंतिम राय निर्दिष्ट नहीं है और प्रथम दृष्टया, मात्र राय दी गई है तो वह अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर जांच कर सकता है. तथ्य अन्वेषण जांच अथवा दुर्घटना जांच के सदस्य या अध्यक्ष उसी मामले में जांच अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते क्योंकि जांच अधिकारी वह प्राधिकारी होना चाहिए जिसने दोष के बारे में पूर्व निर्णय न किया हो, शुरू में अनंतिम रूप से भी नहीं. इसी तरह, किसी अधिकारी द्वारा सतर्कता संबंधी किसी मामले में जांच पड़ताल की गई हो और बाद में उसे कोई प्रशासनिक पद दे दिया गया है तो वह अनुशासनिक मामला उसे नहीं सौंपा जाना चाहिए और उसे उपयुक्त निर्णय के लिए अगले उच्चतर प्राधिकारी के पास भेज दिया जाना चाहिए.

(रेलवे बोर्ड के दिनांक 23.12.68 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 63-आर जी 6-16 जिसे दिनांक 23.5.69 के पत्र के साथ पढ़ा जाए और दिनांक 30.7.91 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 91 आर जी 6-62)

(viii) यदि आरोपित अधिकारी का अनुशासनिक प्राधिकारी भी उसी मामले में शामिल हो तो उसे उक्त मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए. ऐसे मामले में, पदानुक्रम से अगला उच्चतर प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा.

(रेलवे बोर्ड के दिनांक 9.11.1990 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 90 आर जी 6-123)

(ix) अनुशासनिक प्राधिकारी का निर्धारण, आरोपित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के समय धारित पद के अनुसार किया जाए न कि कदाचार का आरोप लगाए जाते समय धारित पद के अनुसार.

(रेलवे बोर्ड के दिनांक 8.8.1964 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 84-आर जी 6-42)

20 नियुक्ति प्राधिकारी

(i) रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम के नियम 2(i) (क) में नियुक्ति प्राधिकारी को नीचे लिखे अनुसार परिभाषित किया गया है:-

(क) उस सेवा, जिसमें रेल कर्मचारी उस समय सदस्य है अधिकृत अथवा सेवा के उस गेड जिसमें रेल कर्मचारी उस समय शामिल है, में नियुक्ति करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी या

(ख) उस पद पर नियुक्ति करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी, जिस पद पर रेल कर्मचारी उस समय आसीन है, या

(ग) ऐसी सेवा, ग्रेड अथवा पद जैसा भी मामला हो, पर नियुक्त करने वाला प्राधिकारी, अथवा
 (घ) ऐसी कोई अन्य सेवा जिसमें रेल कर्मचारी स्थायी सदस्य है और बाद में रेल मंत्रालय के अधीन निरंतर सेवा करते हुए किसी अन्य स्थायी पद पर है तो उसे सेवा, ग्रेड अथवा सेवा के पद पर उसे नियुक्त करने वाला प्राधिकारी, जो भी प्राधिकारी उच्चतम हो.

(ii) नियम 2(i) (क) के विभिन्न खंडों में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों का निर्धारण करने के प्रयोजन से प्राधिकारी को रेल कर्मचारी के पद अथवा ग्रेड तक ही सीमित रहना चाहिए और यथास्थिति खंड (क) अथवा (ख) का उपयोग करना चाहिए.

नियम 2(i) (क) का समय आशय और प्रयोजन भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(i) के उल्लंघन से बचना और यह सुनिश्चित करना है कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने वाला या तो उस श्रेणी के कर्मचारी को नियुक्त करने वाला सक्षम प्राधिकारी हो या वह प्राधिकारी जिसने वास्तव में उसे नियुक्त किया है, जो भी रैंक में उच्चतर हो.

यह आवश्यक नहीं है कि महाप्रबंधक किसी निम्नतर प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किए गए समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करे/हटाए.

(दक्षिण मध्य रेलवे बनाम शेखर कादर मस्तान और नूकाराजा के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.4.80 के निर्णय पर आधारित रेलवे बोर्ड का दिनांक 7.5.90 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 88 आर जी 6-12)

21. कार्यवाहियां प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

(i) राष्ट्रपति या उनके द्वारा किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्राप्त कोई अधिकारी किसी रेल कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ कर सकता है या कोई वह प्रत्येक अनुशासनिक प्राधिकारी, जो किसी रेल कर्मचारी पर नियम 6 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कम से कम एक शास्ति लगा सकता है, भी रेल कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर सकता है.

(ii) वह अनुशासनिक प्राधिकारी जो किसी राजपत्रित रेल कर्मचारी के विरुद्ध, नियम 6 में विनिर्दिष्ट छोटी शास्तियों में से कम से कम एक शास्ति लगाने के लिए सक्षम है, रेल कर्मचारी के विरुद्ध बड़ी शास्ति के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है भले ही वह प्राधिकारी रेल कर्मचारी पर बड़ी शास्ति लगाने के लिए सक्षम न हो. लेकिन, अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में बड़ी शास्ति से संबंधित कार्यवाही उसी प्राधिकारी द्वारा शुरू की जा सकती है जो कम से कम एक बड़ी शास्ति लगाने के लिए सक्षम हो.

(रेल सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमों का नियम 8 जिसे नियम 2(i) (ग) के साथ पढ़ा जाए)

22. आपराधिक कार्यवाहियों के साथ-साथ अनुशासनिक कार्यवाहियां शुरू करना.

रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां तब भी शुरू की जा सकती हैं और इन्हें समाप्त किया जा सकता है जब कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित हो क्योंकि कदाचार की प्रकृति और अपेक्षित साक्ष्य का स्तर, दोनों किस्म की कार्यवाहियों में भिन्न-भिन्न होते हैं. ऐसे मामलों में कार्यवाहियां शुरू करने और इन्हें समाप्त करने से तब तक न्यायालय की अवहेलना नहीं होती है जब तक कि विभागीय कार्यवाहियां स्थगित करने के लिए न्यायालय द्वारा कोई आर्डर न दिया गया हो, विभागीय कार्यवाहियां स्थगित करने से संबंधित प्रश्न के बारे में निर्णय, प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर न्यायालय द्वारा लिया जाएगा, यदि आरोपित कर्मचारी न्यायालय की शरण लेता है.

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 6.6.74 का पत्र सं. ई (डी एंड ए) 71 आर जी 6-36 तथा जंग बहादुर सिंह बनाम बैजनाथ तिवारी (1969 (i) एससीआर 134) और कुशेश्वर दुबे बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (ए आई आर 1988 उच्चतम न्यायालय 2118) के मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय)

23. अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश

किसी अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किसी आरोपित कर्मचारी को आरोप मुक्त करने अथवा नियम 6 में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति अधिरोपित करने से संबंधित आदेश उपयुक्त रूप से सकारण आदेश होने चाहिए और इनमें आरोपों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी के निर्णय का आधार स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए.